



राजस्थान आवासन मण्डल

पंजीकरण योजना वर्ष—2015

दक्षिण विस्तार योजना, उदयपुर

में मध्यम आय वर्ग—‘ब’ (जी+३) फ्लैटों हेतु

(सभी आवेदकों हेतु)



दिनांक 04.03.2015
से 08.04.2015 तक



वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान



राजपाल सिंह शेखावत
नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान

“ मण्डल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना ”



राजस्थान आवासन मण्डल

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित आवास/फ्लैट खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और आवास/फ्लैट बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- आवास/फ्लैट के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के आवास/फ्लैट के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में आवास/फ्लैट आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित आवास/फ्लैट का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे आवास/फ्लैट मैं न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का आवास/फ्लैट खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्कसंगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद-रूप से मंडल के आवास/फ्लैट सर्से पड़ते हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल

दक्षिण विस्तार आवासीय योजना, उदयपुर
में मध्यम आय वर्ग—ब (जी+3) फ्लैटों हेतु

“पंजीकरण योजना—वर्ष—2015”
(सभी आवेदकों हेतु)

प्रस्तावित कार्यक्रम

- | | |
|--|--|
| 1. आवेदन—पत्र ऑनलाईन भरने की अवधि : | 04.03.2015 बुधवार से |
| 2. आवेदन—पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: | 08.04.2015 बुधवार तक |
| 3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु
अस्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान : | 08.04.2015 बुधवार
अंतिम तिथि के पश्चात्
मण्डल की वेबवाइट |
| 4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: | www.rhbonline.rajasthan.gov.in |
| 5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची
के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान : | पर सार्वजनिक सूचना जारी की
जावेगी। |
| 6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान | |

सम्पर्क सूत्र

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर – 302015 फोन नं. : 0141—2740667	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त उदयपुर फोन नं.: 0294—2583327 संपदा प्रबन्धक 0294—2583327	आवासीय अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल, खण्ड—प्रथम वृत्त उदयपुर फोन नं.:0294—2583108
---	---	---

विशेष:

आवेदन पत्र मण्डल की वैबसाईट से ऑन—लाईन ही भरे जावेंगे या रु. 30/- का भुगतान कर लोक मित्र के काउंटर्स से भी भरे जा सकते हैं। इस हेतु आवश्यक राशि आवेदक सीधे ही अपने बैंक के माध्यम से / क्रेडिट कार्ड के मार्फत जमा करवा सकता है या चालान प्रिन्ट कर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में खाता संख्या 3398557046 आई.एफ.एस.सी. CBIN0283291 में जमा करवा सकते हैं।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः—

1. जिस आय वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि ई-चालान द्वारा नगद या बैंक ड्राफ्ट, जो कि “राजस्थान आवासन मण्डल” के पक्ष में सैन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया में जमा करवा दी गई है एवं उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख ली गई है।
2. आवेदन—पत्र पर हस्ताक्षर अपलोड कर दिये हैं ।
3. आवेदन—पत्र पर अपनी नवीनतम फोटो अपलोड कर दिये हैं ।
4. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है, भर दी गई है।
5. आवेदन—पत्र के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार वरीयता लॉटरी में सफल होने पर उक्त बिन्दु में अंकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति / नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर मण्डल के निर्धारित प्रपत्र में नोटेरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराते हुए प्रस्तुत कर दूंगा / दूंगी। मेरे द्वारा उक्त प्रपत्र में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में मण्डल मेरा पंजीकरण बिना किसी सूचना के निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।



राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित फ्लैटों के लिये पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

“पंजीकरण योजना—वर्ष—2015”

(सभी आवेदकों हेतु)

दक्षिण विस्तार आवासीय योजना, उदयपुर में मध्यम आय वर्ग—ब (जी+3) फ्लैटों हेतु

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में आवासों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

“पंजीकरण योजना, वर्ष 2015” का विवरण

इस योजना में प्रस्तावित फ्लैटों का विवरण आयवर्गानुसार निम्नानुसार हैः—

तालिका—1

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या		फ्लैट का अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल SBA (वर्ग मीटर में)	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)
1.	मध्यम आय वर्ग—‘ब’	भूतल	12	102.79	30.00
		प्रथम तल	12	102.79	28.00
		द्वितीय तल	12	102.79	27.00
		तृतीय तल	12	102.79	26.00
		कुल	48		

नोटः—

- (i) आवासों/फ्लैटों की अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ii) उक्त तालिका में आवासों/फ्लैटों की केवल अनुमानित लागत दर्शाई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा आवास/फ्लैट आवंटन के समय लागत सिद्धान्तों अनुसार अंतिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ:-

यह आवासीय योजना बलीचा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 एवं उदयपुर बाईपास के मध्य में स्थित है। इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थानों से दूरी निम्न है :—

1.	उदयपुर रेलवे स्टेशन	04 कि.मी
2.	उदयपुर बस स्टेप्पड	05 कि.मी
3.	जिला कलक्टर कार्यालय	07 कि.मी

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :—

आवासों / फ्लैट्स का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय—समय पर जारी नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन—पत्र भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर अथवा किन्हीं दो शहरों में आवास / फ्लैट का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य / विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास / फ्लैट आवंटन हो चुका है अथवा अन्य से क्रय किया हुआ है, तो वह इस योजना में आवास / फ्लैट आवंटन का पात्र नहीं होगा।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही आवास / फ्लैट आवंटन की पात्रता रखेगा।
3. आवेदक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी / पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास / भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
- 4.(अ)आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या (PAN) होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
(ब)आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र “आधार कार्ड” (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था / कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास / फ्लैट का आवंटन नहीं किया गया है एवं यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास / फ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ—पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा

7. मण्डल द्वारा आवासों/फ्लैटों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:-

तालिका-2

क्र. सं	श्रेणी	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा	योजना में MIG-B श्रेणी के आरक्षित आवास
1	जी-1	वैतनिक श्रेणी—प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सैक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी—द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	18 प्रतिशत 10 प्रतिशत	7 5
2	जी-2	सामान्य श्रेणी – प्रथम द्वितीय – (केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टेड एकाउन्टेन्ट एवं प्राइवेट डाक्टर्स)	29 प्रतिशत 5 प्रतिशत	14 2
3	जी-3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	1 प्रतिशत	1
4	जी-4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	8
5	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत	6
6	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत	1
7	जी-7	स्वतन्त्रता सेनानी	0.5 प्रतिशत	0
8	जी-8	भू सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	3 प्रतिशत	1
9	जी-9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत	2
10	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड़/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	1 प्रतिशत	1
		योग	100 प्रतिशत	48

नोट:-I. उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक आवास आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष आरक्षित आवास सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किए जाएंगे।

II श्रेणीवार आरक्षण कोटा अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र/शपथ-पत्र वरीयता लॉटरी में सफल घोषित होने पर अनिवार्य-रूप से देना होगा अन्यथा आवेदक का पंजीकरण निरस्त कर नियमानुसार कटौति कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

8. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज़ / सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण / आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
9. आवासों / फ्लैटों का आवंटन नगद भुगतान तथा किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित आवासों / फ्लैटों में 45 प्रतिशत आवास / फ्लैट नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जायेंगे।
10. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक-व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस मध्यम आय वर्ग-ब के आवेदकों द्वारा रुपये 1500/- देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान / समायोजन नहीं किया जाएगा।
11. उपरोक्त योजनार्त्तगत आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली पंजीकरण राशि, एवं प्रोसेसिंग फीस का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका-3

आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस	कुल देय राशि
मध्यम आय वर्ग-ब	4,50,001/- से 6,00,000/-	80,000/-	1500/-	81,500/-

- अ. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं परन्तु प्रोसेसिंग फीस पूरी जमा करानी होगी।
- ब. वर्तमान में सेवारत थल सेना, नौ सेना, वायुसेना के सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक एवं इनकी वीरांगनाएँ निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा करा सकते हैं परन्तु प्रोसेसिंग फीस पूरी जमा करानी होगी।
12. आवेदन पत्र मण्डल की वैबसाईट से ऑन-लाईन ही भरे जावेंगे या रु. 30/- का भुगतान कर लोक मित्र के काउंटर्स से भी भरे जा सकते हैं। इस हेतु आवश्यक पंजीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि आवेदक सीधे ही अपने बैंक के माध्यम से / केडिट कार्ड के मार्फत जमा करवा सकता है या चालान प्रिन्ट कर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3398557046 आई. एफ.एस.सी. कोड CBIN0283291 में किसी भी सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में उपरोक्त खाते में जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त पंजीकरण आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13. आय वर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नगद भुगतान पद्धति से ही मान्य होंगे। अल्प आय वर्ग के आवासों / फ्लैटों हेतु मध्यम आय वर्ग(ब) व उच्च आय वर्ग के आवेदक तथा मध्यम आय वर्ग(अ) हेतु उच्च आय वर्ग व अर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे एवं पात्रता आय वर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

14. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति / पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-

(अ) स्वयं के लिए –

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह / सम्पति / व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी / पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

15. फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ होते ही सफल आवेदकों को पूर्वग्रहण राशि के पत्र जारी किये जायेंगे, जिसमें निम्नानुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय पूर्वग्रहण राशि का भुगतान, पत्र जारी होने की तिथि से क्रमशः एक, चार व सात माह में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। यदि आवेदक राशि जमा कराने की सूचना नहीं देने के कारण लाटरी से वंचित रहता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। पूर्वग्रहण राशि जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल फ्लैट का आवंटन नहीं करेगा एवं पंजीकरण नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा पंजीकरण राशि में से नियमानुसार 20 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। मण्डल प्रथम पूर्वग्रहण राशि जमा होने पर आवेदक को लाटरी द्वारा फ्लैट आवंटन के लिये स्वतंत्र होगा।

फ्लैट की आय वर्गानुसार ली जाने वाली पूर्वग्रहण राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका—4

क्र. सं.	आय वर्ग	किश्त (रुपये में)			योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	मध्यम आय वर्ग—ब	70,000/-	70,000/-	60,000/-	200000/-

16. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, खुले, स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख—रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेन्सी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख—रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर—टेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास / फ्लैट का कब्जा दिया जावेगा।
17. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार एवं विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों / फ्लैटों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) नियमानुसार उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा एवं बैंक से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।

18. मण्डल द्वारा एक शहर में एक ही समयावधि में विभिन्न वृतों में एक साथ योजनाएँ आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करने की पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में आवास /फ्लैट प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छुपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आएगा तो आवेदक एक ही आवास /फ्लैट हेतु योग्य रहेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।

19. रिफण्ड

- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। प्रोसेसिंग फीस की राशि वापिस नहीं की जाएगी।
- (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात् तथा आरक्षण पत्र / पूर्वग्रहण राशि पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iii) यदि आवेदक पूर्वग्रहण राशि का पत्र जारी होने के पश्चात् राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं सरचार्ज की राशि वापिस नहीं की जाएगी।
20. प्रस्तावित योजना, आवेदकों की वरीयता निर्धारण के पश्चात्, यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं सरचार्ज की राशि वापिस नहीं की जाएगी।
21. आवास /फ्लैट आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों /मण्डल की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमुनिसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
22. मण्डल निर्मित आवासों /फ्लैटों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारण करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
23. किराया क्रय पद्धति से आवास /फ्लैट आवंटित होने पर तथा आवास /फ्लैट का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा सकता है। इस बाबत आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन-पत्र पूर्व में जारी आवंटन पत्र के निरन्तर क्रम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं आवास /फ्लैट की एक मुश्त (नकद भुगतान) राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्ती /ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् आवंटित आवास /फ्लैट की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरूप ही की जायेगी। नकद भुगतान पद्धति से आवास /फ्लैट आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

24. आवंटन लॉटरी में आवेदक को फ्लैट के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् फ्लैट की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन—पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवास/फ्लैट का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
25. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार न्यूनतम प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख—रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान हीफ्लैटों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास/फ्लैट के निर्माण का अवलोकन स्वयं भी कर सके।
26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास/फ्लैट के आवंटन पत्र में वर्णित विविध खर्च देय होंगे जिनका आवास/फ्लैट के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्च निम्न प्रकार के होंगे:—
- क. **ए.एस.सी. (एन्सीलरी सर्विस चार्ज)** : यह राशि मध्यम आय वर्ग 'अ' / 'ब' / उच्च आय वर्ग के आवासों/फ्लैटों के लिए कुल कीमत का 3 प्रतिशत होगा।
 - ख. **लीज राशि** : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
 - ग. **किराया क्रय अग्रिम जमा राशि** : यह राशि जो कि आवास/फ्लैट की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जायेगी।
 - घ. **सेवाकर** : यह राशि आवंटन पत्र की कुल मांग राशि की राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित दर से वसूलनीय होगी।
 - ङ. **विधिक शुल्क** — मण्डल के आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न परिवादों के लिए मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय हेतु मध्यम आय वर्ग—ब हेतु 1000/- की राशि वसूलनीय होगी।
- य. **अन्य खर्चे :**
- (I) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
 - (ii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल एवं अन्य विधिक संस्था द्वारा वसूलनीय कर यथा सर्विस टैक्स, सैस आदि भी मांग अनुसार आवंटी को पृथक से जमा करवाने होंगे।
27. मण्डल के आवास/फ्लैट केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास/फ्लैट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास/फ्लैट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास / फ्लैट सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
29. यदि आवेदक, शपथ पत्र / आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास / फ्लैट का आवंटन / कब्जा हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास / फ्लैट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी एवं मण्डल आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग / फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :—
1. विद्युत / फिटिंग / फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
31. मण्डल अपनी योजनाओं / आवासों / फ्लैटों में परिवर्तन / परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास / फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
32. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
33. पंजीकरण / आरक्षण / आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों / आदेशों / उप-बन्धों / परिपत्रों के तहत होगा। मण्डल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने / परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा तथा पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया बाध्यकारी होंगे।
34. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को आवंटित सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और कब्जा लेने के बाद में किसी आगामी स्तर पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
- 35 (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना **आवासीय अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, उदयपुर, कार्यालय** के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतिया के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें।

दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय—समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।
36. यदि आवेदक आवास / फ्लैट आवंटन के पश्चात् मंडल को देय राशि के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करता है तो मंडल को कोई आपत्ति नहीं होगी।
37. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास / फ्लैट लेना चाहता है।
38. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट इंगित की जानी चाहिए यदि नहीं करता है तो उसे नकद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत माना जावेगा।
39. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित् दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन / आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
40. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र / वचनबद्धता / अन्य आवेदन / अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चर्चा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- I. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- iii. आवेदन—पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण—पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (वरीयता लॉटरी में सफल होने पर) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v. “आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/ अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड़/ औलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति वरीयता लॉटरी में सफल होने पर प्रस्तुत करनी होगी।
- vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vii. लाटरी से जो भी आवास/फ्लैट आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा, परन्तु नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित/विक्रित आवास/फ्लैट का परिवर्तन (Exchange) आवंटियों की आपसी सहमति पर किये जाने की स्वीकृति मण्डल द्वारा प्रदत्त की जायेगी, जिसके लिए आवास/फ्लैट के विक्रय मूल्य की 1 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क मण्डल में जमा कराना होगा।
- viii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- ix. आवास/फ्लैट आवंटन/कब्जे के बाद आवास/फ्लैट का रख—रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- x. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद उदयुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- xi. योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा सयुंक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।
- xii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- xiii. आवंटी से यह उम्मीद की जाती है कि उनको आवंटित फ्लैट/ आवास/फ्लैट में उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं को भली—भौति देख ले। आवंटी द्वारा मण्डल से कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् फ्लैट/ आवास/फ्लैट में किसी कमी के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।
- xiv. उक्त योजना के माध्यम से आवंटित फ्लैट/आवास/फ्लैट किन्हीं कारणों से यदि निरस्त किया जाता है या अवशिष्ट हो जाता है तो ऐसे अवशिष्ट आवास/फ्लैट का निस्तारण खुली बिक्री योजना अथवा नीलामी के माध्यम से करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

शहर का नाम	कार्यालय का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर
उदयपुर	<p>कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त—उदयपुर सम्पदा प्रबन्धक 0294—2583327</p> <p>आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, उदयपुर फोन — 0294—2583108</p> <p>आनलाइन फार्म भरने में यदि किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो कृप्या सम्पर्क करें कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय — 0141—2740648 , 0141—2740860 संयुक्त निदेशक — 9672988036 लोकमित्र हेल्प लाइन—1800 180 6127 ई—मेल. —helpdesk@rhbmail.in info@rhbmail.in , acprhb@yahoo.co.in</p>

सभी आवेदकों के लिए
(वरीयता निर्धारण लॉटरी में सफल होने पर)

शपथ—पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु.....
वर्ष, जाति निवासी
एतद्वारा सशपथ घोषणा करता / करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का / की नागरिक हूँ।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास उदयपुर शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक फ्लैट/भूखण्ड नहीं है।
3. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास पूर्व में राज्य के उदयपुर शहर में आवासन मण्डल से सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री एवं नीलामी आदि द्वारा भूखण्ड/आवास संख्या योजना में आवंटित है/आवंटित था।
4. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय—समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा / रहूँगी।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।
6. यह कि मेरे द्वारा स्थित मण्डल की में भी आवेदन किया गया है। यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखूँगा / रखूँगी तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा
करता / करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 6 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण—पत्र हेतु शपथ—पत्र
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

शपथ—पत्र

मैंपुत्र/पत्नी श्रीआयु.....
जाति निवासी
..... (अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान
करता / करती हूँ:-

1. यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2013–2014 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार है:-
 - अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों सेरुपये हैं।
 - ब. मेरे पति / पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आयरुपये हैं।
 - स. यह कि वित्तीय वर्ष 2013–2014 में मेरे परिवार की कुल आमदनीरुपये हैं।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी सत्यनिष्ठा से सत्यापित
करता / करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही सत्य है तथा मैंने
कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम
श्रेणी मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

वेतन भोगी आवेदकों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

आय प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीइस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/
संस्था (विभाग/संस्था का नाम)में.....
....पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के
उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रूपये
.....प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीनिवासी.....जिला
.....संभाग.....राज्यजातिके सदस्य हैं
जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित
जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी
जिला स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष में राज्य सरकार द्वारा
ताम्र—पत्र / प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर
जिला कलक्टर / उप सचिव / सहायक सचिव
(सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी
ने वर्ष में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1.
2.
3.

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी ग्राम.....
जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र / पत्रिका (नाम)
..... नियमित रूप से प्रकाशित होता / होती है।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए / सैन्य विधवा प्रमाण पत्र
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती पुत्र / पुत्री / पत्नी
स्व. श्री निवासी
..... सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है / युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है / युद्ध में हताहत
हुए विकलांग सैनिक है।

सचिव
राज्य / जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना
अनिवार्य है।)

राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री क्षेत्र
विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा से विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा के सत्र
..... के सदस्य हैं।

हस्ताक्षर
महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा
क्षेत्र/राज्यसभा, जिला से सत्र में सदस्य रहे हैं एवं
भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर
महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

सभी आवेदकों के लिए
(वरीयता लॉटरी में सफल होने पर)

शपथ—पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
आयु..... वर्ष, जाति..... निवासी
..... एतद्वारा सशपथ बयान करता/करती हूँ कि:—

1. यह कि मैंने पंजीकरण योजना, 2014—दक्षिण विस्तार आवासीय योजना, उदयपुर में
आय वर्ग में आवास आवंटन हेतु आवेदन—पत्र संख्या के द्वारा आवेदन किया
है।
2. यह कि मेरे द्वारा आवास आवंटन से सम्बन्धित मण्डल नियमों का अध्ययन कर लिया गया है एवं
मेरे आवास आवंटन करने के आवेदन मात्र से मुझे आवास प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं
होता है।
3. यह कि उक्त आवेदन—पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात् मण्डल द्वारा समय—समय पर¹
आवास से संबंधित मांग राशि यदि मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाती है तो
मण्डल बिना सूचना दिये पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकारी होगा।
4. यह है कि मेरे स्वयं की गलती के कारण मण्डल द्वारा उक्त पंजीकरण / आवंटन निरस्त किया
जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा / रहांगी।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी सत्यनिष्ठा से सत्यापित
करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी
जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर
नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

Sample Form to be filed online



राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त उदयपुर

दक्षिण विस्तार आवासीय योजना, उदयपुर में
मध्यम आय वर्ग-ब के (जी+3) फ्लैटों हेतु

“पंजीकरण योजना—वर्ष—2015”
(सभी आवेदकों हेतु)

आवेदन क्रमांक

आवेदन—पत्र

आवेदक / आवेदिका
का नवीनतम
फोटो

राजपत्रित / नोटेरी पब्लिक
द्वारा प्रमाणित

1	आवेदक / आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करें इसमें किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री / श्रीमती
2	पिता / पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री
3	जन्म तिथि
4	राष्ट्रीयता
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स आधार कार्ड/ अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज.....
6	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (यूआईडी.) नम्बर (यदि हो तो)
7	व्यवसाय का स्वरूप इंगित (/) करें (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	वैतनिक <input type="checkbox"/> अवैतनिक <input type="checkbox"/>
8	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा) दूरभाष नं. मोबाइल नं. ई-मेल पता
9	आवेदक / आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रु. में) (वित्तीय वर्ष 20.....–20.....) पैन नम्बर, (लागू हो तो) (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें) (अ) स्वयं की (ब) पत्नी / पति की आय (स) आश्रितों की आय कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)
10	यदि आवेदक पूर्व पंजीकृत है तो, क. आय वर्ग जिसमें पंजीकरण हुआ है: ख. पंजीकरण का वर्ष ग. वरीयता क्रमांक :
आवेदित पंजीकरण का विवरण		
11	पंजीकरण राशि रु०	वर्तमान आवेदित आय वर्ग
12	संलग्न बैंक ड्राफ्ट सं. बैंक का नाम दिनांक रु.



राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त उदयपुर

दक्षिण विस्तार आवासीय योजना, उदयपुर में
मध्यम आय वर्ग-ब के (जी+3) फ्लैटों हेतु

“पंजीकरण योजना—वर्ष—2015”

(सभी आवेदकों हेतु)

श्री से दक्षिण विस्तार आवासीय योजना, उदयपुर हेतु ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन—पत्र प्राप्त किया मय बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम शाखा |

कार्यालय की मोहर

(नोट: उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करें।)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
नाम व पदनाम की मोहर सहित

13	भुगतान की पद्धति इंगित (/) करें (आवेदक को परामर्श है कि कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	किराया क्रय <input type="text"/>	नकद भुगतान पद्धति <input type="checkbox"/>
14	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उपरोक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैक संलग्न करेगे:— आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण) : खाता संख्या (सम्पूर्ण) : खाते का प्रकार (बचत / चालू / एन.आर.आई.) : बैंक शाखा का पता : मोबाइल नम्बर :		
15	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (/) करें :		
	जी-1: वैतनिक श्रेणी— प्रथम—(केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) द्वितीय—(राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	जी-2: प्रथम—सामान्य श्रेणी द्वितीय— (एडवोकेट, चार्टेट एकाउन्टेंट एवं प्राइवेट डॉक्टर) केवल प्रोफेशनल	
	जी-3: मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	जी-4: अनुजाति	
	जी-5: अनु जनजाति	जी-6: वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक / सांसद / अधिस्वीकृत पत्रकार	
	जी-7: स्वतंत्रता सेनानी	जी-8: भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएँ	
	जी-9: विकलांग (अन्धा, शारीरिक व मूक बधिर)	जी-10: वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	
16	निम्नांकित तालिका में अंकित मूल / सत्यापित प्रमाण—पत्र वरीयता लॉटरी में सफल होने पर 15 दिवस में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे:— (अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ब) पते का प्रमाण पत्र (स) आय का प्रमाण पत्र (द) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (य) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (र) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (ल) स्वयं अथवा पति—पत्नी अथवा अश्रितों के नाम कोई भूमि/भवन न होने संबंधी शापथ पत्र। (व) अन्य वांछित प्रमाण—पत्र / शपथ पत्र।		
17	घोषणा :- 1. मैं, (नाम) पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री , आयु वर्ष, जाति निवासी इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत का/की नागरिक हूँ तथा आवेदन—पत्र में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। 2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ। 3. मेरा या मेरे अश्रितों का आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ, में पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्री होल्ड या पटटे के आधार पर भूखण्ड या आवास नहीं है। 4. मेरा या मेरे अश्रितों को अन्यत्र शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी/माप का आवास आरक्षित/आवंटित है/ नहीं है। 5. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय—समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा। 6. आवास का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् आवास में होने वाली टूट—फूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। 7. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि वरीयता निर्धारण लॉटरी में सफल होने पर आवेदन—पत्र के बिन्दु संख्या 16 में अंकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति/नॉनज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर मण्डल के निर्धारित प्रपत्र में नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कराते हुए प्रस्तुत कर दूँगा। मेरे द्वारा उक्त प्रपत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किए की दशा में मण्डल मेरा पंजीकरण, बिना किसी सूचना के, निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। 8. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करती हूँ:—		
	क्र.सं. नाम आयु	सम्बन्ध	
	1.		
	2.		
		

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान
दिनांक



FOR SOUTH EXT. SCH
UDAIPUR

AREA FOR FLATS (PER UNIT)

BUILT UP AREA	89.40 SQ.M.
BALCONY (50%)	7.70 SQ.M.
CORRIDOR & STAIRCASE	5.69 SQ.M.
SUPER BUILT UP AREA	102.79, SQ.M (1105.00 SQ.FT.)

SCHEDULE OF OPENING

	TYPE	SIZE	STILEL.
1.	D.1	1.20X2.10	"
2.	D.2	1.00X2.10	"
3.	D.3	0.90X2.10	"
4.	D.4	0.75X2.10	"
5.	D.5	1.00X2.70	"
6.	D.W	1.80X2.70	"
7.	W.1	1.20X1.90	0.80
8.	W.2	1.10X1.90	0.80
9.	W.3	1.20X1.70	1.00
10.	V	0.60X0.40	1.50


NOTE:- APPROVED IN P.C. MEETING 144 th
HELD ON DATED 13-8-2014 AGENDA
ITEM NO. 6

REVISED TYPE DESIGN OF M.I.G.
FLATS (G+3)

DRG. NO. RASHMI/H	SCALE -
DATE- 09/07/2014	CHECKED BY K.SARAFKA
DESIGNER - S.E.TANWAR	T.P.A.-GURUVE SINGH
(PC YADAVI) ASSISTANT TOWN PLANNER	(B.S. JALANI) DEPUTY TOWN PLANNER
(SATISH SAWARKAR) SENIOR TOWN PLANNER	(DILIP SINGH KUMHETI) SENIOR TOWN PLANNER

RAJASTHAN HOUSING BOARD

GROUND FLOOR PLAN



UDAIPUR



ROAD 60 M. WIDE

ROAD PLAN OF
SOUTH EXTENSION
SCHEME , UDAIPUR.

RAJASTHAN HOUSING BOARD

राजस्थान आवासन मण्डल



“आवास भवन”, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर, फोन: 0141-2740812, 2740113, 2740614
E-mail: info@rhbmail.in; Website: www.rhbonline.rajasthan.gov.in